मासिक

इसलाहे समाज

जुलाई **2018** वर्ष **29** अंक **07**

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

एहसानुल् ह़क़्क़

❑	वार्षिक राशि	**100** रुपये
❑	प्रति कापी	**10** रुपये
❑	टोटल पेज	**28**

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006
फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613
RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद इरफान शाकिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से भारत आफसेट **2035** क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल **4116**, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: एहसानुल् हक्क़

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1.	उमरे के लिये जाते हुए	**2**
2.	अल्लाह की नेमत का सहीह इस्तेमाल...	**4**
3.	इस्लाम, इन्साफ और समता	**5**
4.	तरबियत	**7**
5.	क़ुरआन मजीद की फ़ज़ीलत और बर्कत ...	**9**
6.	मानव अधिकार का उल्लेख इस्लामी इस्लामी शिक्षाओं की रौशनी में	**12**
7.	क़ुर्बानी के महत्वपूर्ण मसाइल	**14**
8.	हज और उमरा के फ़ज़ाइल एवं बरकात	**18**
9.	जानवरों पर इस्लाम की कृपादृष्टि	**20**
10.	स्वास्थ्य	**21**
11.	जमाअती ख़बर	**22**
12.	घमण्ड एक बुरी आदत	**23**
13.	प्रेस रिलीज़	**25**
14.	दो कलिमे अल्लाह को बहुत पसन्द हैं	**26**
15.	प्रेस रिलीज़ (मुसाबक़ा)	**27**
16.	आडीटोरियम का इश्तेहार	**28**

ईमेल:-

Jaridahtarjuman@gmail.com

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- **www.ahlehadees.org**

अल्लाह की नेमत का सहीह इस्तेमाल होना चाहिये

नौशाद अहमद

साइंस की तरक्की और रिसर्च ने इन्सानों के लिये आसानी और आराम का अथाह रास्ता खोल दिया है। साइंस की जो भी कोशिश रही है वह अधिकतर इन्सान की बेहतरी के लिये है लेकिन साइंस के अविष्कार के गलत इस्तेमाल ने आज के इन्सान को गलत दिशा में भी डाल दिया है। कोई भी नया अविष्कार बाज़ार में आता है तो पहले उसका सकारात्मक प्रयोग और पहलू होता है लेकिन ध ीरे धीरे उसका नकारात्मक प्रयोग और पहलू सामने आने लगता है।

सकारात्मक पहलू यह है कि किसी ईजाद का सहीह इस्तेमाल किया जाये, समाज के सुधार और विकास में इस्तेमाल किया जाये और उसको ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम बनाया जाये, अगर इस पहलू से किसी ईजाद का इस्तेमाल किया जाता है तो यह अल्लाह की तरफ से बन्दों की बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत पर बन्दों को अल्लाह का कृतज्ञ और शुक्रगुज़ार होना चाहिये।

साइंस के अविष्कार का नकारात्मक पहलू यह है कि उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाये, यही चीज़ इन्सान के लिये फितना बन जाती है। आई फोन इस का सबसे बड़ा उदाहरण है आज यह एक इन्सान के लिये लाभकारी होने के साथ हानिकारक और फितना बना गया है, एक गलत खबर की बुनियाद पर जिस तरह से भ्रम और गलत फहमी फैलायी जाती है जिस से एक इन्सान का मान सम्मान मिन्टों में धूमिल हो जाता है और समाज का वातावरण दूषित हो जाता है।

अल्लाह ने इन्सान को असंख्य नेमतें दी हैं और इन्सान को बुद्धि इस लिये दी है कि वह हर सामान का सहीह इस्तेमाल करे। समाज को बेहतर बनाने और अपने बाल बच्चों और परिवार को चरित्रवान बनाने में प्रयोग करे लेकिन साइंस के अविष्कार का गलत प्रयोग करके इन्सान ने समाज के समीकरण को परिवर्तित कर दिया है, अल्लाह की नेमत को अपने लिये कामयाबी का माध्यम बनाने के बजाये अपनी नाकामी का रास्त खोल दिया है।

कामयाबी का मतलब यह है कि इन्सान इस दुनिया में जिस मकसद से आया है उसको पूर्ण रूप से समझे और उसके अनुसार जीवन गुज़ारे और साइंस के द्वारा अल्लाह ने हमें जो नेमत दी है उसको मानवता के कल्याण और समाज के सुधार में प्रयोग करे यही रास्ता हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है और इसके विपरीत अगर इन्सान अल्लाह की नेमत का गलत इस्तेमाल करता है तो यह रास्ता इन्सान को नाकामी की तरफ ले जाता है। किसी नेमत का दूसरे के खिलाफ या किसी समाज के खिलाफ इस्तेमाल इन्सान के लिये अत्यन्त घातक है। आइये हम संकल्प करते हैं कि हम अल्लाह की नेमत को समाज की भलाई और अपनी कामयाबी के लिये इस्तेमाल करेंगे और दूसरों को अल्लाह की नेमत का सहीह इस्तेमाल की प्रेरणा देंगा और अल्लाह ने हमें इस दुनिया में जिस मक़सद के लिये भेजा है उस मक़सद में कामयाब होने के लिये उसके सिद्धांतों का पालन करेंगे।

इस्लाम, इन्साफ और समता

शैखुल हदीस मौलाना उबैदुल्लाह रहमानी रह०

अद्ल का अर्थ इन्साफ होता है, हर चीज़ में इन्साफ की ज़रूरत है, कथनी में, करनी में, अर्थात जो कहें या करें उसमें इन्साफ और सच्चाई हो हर चीज़ सच्चाई की तराजू में ठीक ठीक उतरे और इनसफ की कसौटी पर पूरी उतरे कमी और ज्यादती न हो।

इस्लाम में इन्साफ की बड़ी अहमियत है और इन्साफ करने पर बल दिया गया है यह इन्साफ दोस्त, दुश्मन अपने और पराये सबके साथ होना चाहिये किसी भी हाल में इन्साफ के मामले में रिआयत नहीं की जायेगी।

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः

(इसलिये) ऐ मुसलमानों खुदा लगती इन्साफ से गवाही दिया करो अगर्चे (वह गवाही) तुम्हारे लिये या तुम्हारे मां बाप के लिये या तुम्हारे करीबियों के लिये नुकसान पहुंचाने वाली हो (तो भी तुम सच्ची गवाही से न रूको) अगर कोई शख्स मालदार हो या फकीर, अल्लाह उसका मुतवल्ली है इसलिये तुम न्याय करने में अपने नफ्स की ख्वाहिश के पीछे न चलो और अगर जबान दबार कर (दो रूखी बातें) कहोगे (जिससे किसी हकदार का नुकसान हो) या (बिलकुल ही गवाही से) मुंह फेरोगे तो अल्लाह तुम्हारे कामों से आगाह है। (सूरे निसा आयत-१३५)

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''मुसलमानों! (अब लेन देन के संबन्ध में भी अहकाम सुनो हर एक के मामले में) खुदा लगती गवाही इन्साफ से दिया करो और किसी कौम की दुश्मनी से अन्याय न करने लगो (बल्कि हर हाल में) न्याय ही किया करो (क्योंकि) न्याय परहेज़गारी के बहुत ही करीब है और अल्लाह से डरते रहे। निःसन्देह अल्लाह तुम्हारे कामों की ख़बर रखने वाला है''। (सूरे माइदा-८)

कुरआन की इस आयत में इन्साफ को तकवा से ज्यादा करीब बताया है और तकवा के दर्जे तक पहुंच कर इन्सान सही अर्थों में पूर्ण इन्सान बन जाता है। मुत्तकी (अल्लाह से डरने वाला) इन्सान न किसी पर अत्याचार करता है और न दुश्मनी पर आमादा होता है इसलिये इन्साफ की मांग यही है कि इन्साफ की राह में किसी की दुश्मनी आड़े न आ सके, इन्साफ दोस्ती और दुश्मनी से बुलन्द है बल्कि इन्साफ कहता है कि दुश्मन के साथ सबसे पहले इन्साफ किया जाये।

लोग इन्साफ के फैसले या गवाही में इसलिये गलत बयानी से काम लेते हैं कि जिस पक्ष की तरफदारी की जा रही है उसको फायदा पहुंच जाये जबकि कुरआन में है कि अल्लाह अपने अमीर और गरीब बन्दों के हक़ में तुम से (हम इन्सानों से) ज्यादा शुभचिंतक है तुम्हारी कमनजर तो आस पास तक जाकर रह जाती है और अल्लाह की नजर में सब कुछ है। अल्लाह सब कुछ देख कर और सब कुछ जान कर अपने बन्दों के साथ वह करता है जिसमें उसकी भलाई हो। गौर कीजिये कि इन शब्दों में इन्साफ का दर्शन (फलूसफा) कितनी गुणवत्ता (खूबी) से अदा किया गया है। कम हौसला इन्सान अपने फैसले व गवाही में

किसी खास इन्सान की भलाई के लिये झूठ बोलता या गलत फैसला देता है और समझता है कि इस झूठी गवाही और फैसले से भायदा पहुंचेगा जबकि परोक्ष का ज्ञान रखने वाला अल्लाह के सिवा यह किस को मालूम हो सकता है कि आगे चल कर उसके लिये क्या चीज़ लाभदायक ठेहरे गी। फिर एक दूसरे पहलू से देखिये कि मान लिया जाये कि एक खास आदमी को अपनी तरफदारी से फायदा पहुंचा भी दिया तो क्या यह सच नहीं इस (तरफदारी करने वाले इन्सान) ने हकीकत में सच्चाई का खून करके विश्व-व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की और अत्याचार की बुनियाद रखी जिससे विश्व शान्ति के अस्त व्यस्त हो जाने का खतरा है। गलत बोलने से इन्सान की सीमित निगाह में केवल एक आंशिक घटना के नफा नुकसान का ख्याल है और अल्लाह के इन्साफ के हुक्म में पूरे संसार की भलाई का एक रहस्य (राज) छिपा है जिस का हिस्सा केवल इन्सान ही है व्यक्ति और जमाअत बल्कि हुकूमत में इन्साफ की अहम ज़रूरत है।

स्वंय अपने बच्चों के बीच भी इन्साफ ज़रूरी है जो एक बच्चे को दिया जाये वही दूसरी बच्चे को भी दिया जाये। हज़रत नौमान बिन बशीर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि मेरे पिता जी ने मेरी सेवा के लिये एक सेवक दिया और मुझे लेकर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास आये और कहा मैंने अपने इस बच्चे को एक सेवक दिया है आप गवाह बन जाइये। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुमने सब बच्चों को दिया है उन्होंने कहा नहीं। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ''अल्लाह से डरो और अपने बच्चों के बीच इन्साफ करो''। (बुख़ारी)

यतीम बच्चों के साथ अभिभावकों (सरपस्तों) के लिये इन्साफ की ज़रूरत है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''और यतीमों के साथ इन्साफ करो''। (सूरे निसा)

बच्चों, औरतों और यतीमों (अनाथों) के साथ इन्साफ करने से पूरे परिवार और घराने की इस्लाह हो सकती है इसी प्रकार दो व्यक्तियों या दो जमाअतों में इन्साफ करने से पूरे देश का सुधार हो सकता है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः

''और इन दोनों में बराबरी के साथ सुलेह करा दो और इन्साफ का ख्याल रखा यकीनन अल्लाह तआला इन्साफ करने वालों को पसन्द करता है''। (सूरे हुजूरात)

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''और आप कह दीजिये कि मैं उस किताब पर ईमान रखता हूं जो अल्लाह ने उतारी है और अल्लाह की तरफ से मुझे यह हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दमिर्यान इन्साफ करूं। अल्लाह हमारा और तुम्हारा रब है हम को हमारे कर्मों का बदला मिलेगा, हमारे और तुम्हारे बीच कोई झगड़ा नही है, हम सबको अल्लाह की तरफ जाना है''।

अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है अगर्चे हमारे तुम्हारे बीच मतभेद जरूर है मगर मैं तुम्हारे साथ इन्साफ करूंगा, अमीर, गरीब, मुस्लिम और गैर मुस्लिम की कोई रिआयत नहीं केवल इन्साफ की रिआयत है हम सब अल्लाह के बन्दे हैं और मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है जहां इन्साफ और अन्याय का बदला मिलना है, हमको हमारे कर्मों का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे कर्मों का बदला मिलेगा। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम सही अर्थों में न्यायवादी थे इसलिये लोग नबी बनाये जाने से पहले हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास अपने मामलात ले जाते और आपके फैसले पर सब सहमत और खुश हो जाते।

तरबियत

मौलाना नियाज़ अहमद तैयबपूरी

तरबियत अर्थात प्रशिक्षणः इन्सान की इसलाह करना यहां तक कि वह अपने ऊपर भरोसा करने लगे और दूसरों की सहायता का मुहताज न रहे।

तरबियत की तारीफ़ कई तरह से की गई है उनमें से कुछ को निम्न में पेश किया जा रहा है।

इस्लामी अहकामात और क़वानीन की रोशनी में अक़ीदा, इबादत, अख़लाक, अक़्ल और सीरत के एतेबार से आदमी की परवरिश करना। (नहवा तरबियति न इस्लामिय्याति न-लेखकःराशिदा मुहम्मद शरीफः १३)

मशहूर मुफस्सिर बैज़ावी कहते हैं ''किसी चीज़ को धीरे-धीरे कमाल तक पहुंचाना'' (तफसीर बैज़ावी-१४२)

कुरआन में तरबियत का वर्णन

तरबियत शब्द का वर्णन कुरआन में दो बार आया है। मां बाप के बारे में अल्लाह ने फरमाया है''और दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार! इन पर वैसा ही रहम कर जैसा इन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की है।'' (अल-इसराः२४)

इब्ने जरीर तबरी कहते हैं इसका अर्थ यह है ''जिस तरह इन्होंने मेरे बचपन में प्यार, शफ़कत और मुहब्बत का मामला किय। मेरी तरबियत की यहां तक कि मैं बड़ा हुआ और उन दोनों से बेनियाज़ हो गया उनका मोहताज नहीं रहा इसी तरह उनके साथ भी मामला करना''। (तफसीर इब्ने जरीर तबरीः १५/६७-६८)

सूरतुश्शोअरा में मूसा और फिरऔन के बारे में अल्लाह ने फ़रमाया हैः फिरऔन ने कहा क्या हमने तुझे तेरे बचपन के ज़माने में अपने यहां पाला नहीं था?

तालीम और तरबीयत

इल्म नूर है जेहालत तारीकी है, तालीम का मक़सद है मालूमाता के द्वारा जेहालत की तारीकी को दूर करना इल्म अमल के लिए हासिल किया जाता है और यही अपेक्षित है।

तरबियत उस वक्त फाएदा देगी जब उसकी बुनियाद इल्म पर हो तरबियत के महिरीन कहते हैं कि तरबियत और तालीम के बीच अन्तर करना बड़ा कठिन है। जब तरबियत तालीम के साथ इस्तेमाल की जाए तो इसका माना होगा अमल जो इल्म की बुनियाद पर काएम हो और तालीम का अर्थ होगा मालूमात के द्वारा आदमी को सुसज्जित करना अगर तरबियत अलग से आए तो यह तालीम को शामिल होगी और जब तालीम अलग से आए तो यह तरबियत को शामिल होगी।

बिना अमल के इल्म का कोई फाएदा नहीं अगर कोई सिर्फ इल्म में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है उस पर अमल नहीं करता तो ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इनके विपरीत जिन लोगों की अमली

एतेबार से अच्छी तरबियत की जाती है वह तरक्की करते हैं भले ही उनकी इल्मी सलाहियत कम हो। (नहवा तरबियतिन इस्लामियतिनः राशिदा मुहम्मद शरीफ : १६)

कुरआन में तरबियत की अहमियत

कुरआन में कसरत (अधिकता) से तरबियत का हुकम आया है सभी नबियों ने अपनी कौम की तौहीद (एकेश्वरवाद) पर तरिबयत की थी।

अल्लाह ने सूरतुत्तहरीम में फरमाया हैः

''ऐ ईमान वालो तुम अपने आपको और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ जिसके ईंधन मानव और पत्थर हैं''।

अल्लामा इब्ने कसीर (तुम अपने को और अपने अहलो अयाल को बचाओ) की तफसीर में लिखते हैं उनको भलाई का हुक्म दो, उन्हें बुराई से रोको, उनको आज़ाद न छोड़ दो कि क़यामत के दिन जहन्नम की आग उन्हें खा ले। (तफसीरूल कुरआनिल अज़ीमः इब्ने कसीर ३/१६६)

हसन बसरी कहते हैं ''उनको अल्लाह की इताअत का हुक्म दो और उन्हें भलाई की बातें सिखलाओ।''

जब मां बाप और बच्चे के सरपरस्त उसकी अच्छी तरबियत करेंगे, उसे इल्म के ज़ेवर से सुसज्जित करेंगे तब वह नेक और परहेज़गार बनेगा, गुनाहों के करीब नहीं जाएगा, इस तरह वह जहन्नम का ईंधन बनने से बच जाएगा।

नबियों ने अपनी सन्तान में तरबियत करने से किसी प्रकार की कोताही नहीं की थी।

इस्माईल अलैहिस्सलाम का वर्णन कुरआन ने इस प्रकार किया हैः ''वह अपने अहलो अयाल को नमाज़ और ज़कात का हुक्म देते थे।'' (सूरे मरयम-५५)

नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था ''ऐ मेरी कौम के लोगो तुम सब अल्लाह की इबादत करो उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं'' (सूरतुल आराफ़ ४६)

हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी क़ौम से कहा ''ऐ मेरी कौम के लोगो! तुम अल्लाह की इबादत करो उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं'' (आराफ ६४)

सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा ''ऐ मेरी कौम के लोगो! तुम अल्लाह की इबादत करो अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं'' (सूरतुल आराफ ७३)

शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरी कौम के लोगो! तुम अल्लाह की इबादत करो उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं''। (सुरतुल आराफ ७४)

लुक़मान को अल्लाह ने हिकमत प्रदान की थी, अल्लाह ने कुरआन में स्वयं फरमाया है कि मैंने लुक़मान को हिकमत दी थी। इनके नाम की कुरआन में एक सूरत है जिसमें ३४ आयतें हैं पूरे कुरआन में इनका वर्णन दो बार आया है। इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे ढंग से की थी। अपने बच्चों को शिर्क से रोका था।

''ऐ मेरे बेटे! अल्लाह के साथ शिर्क न करना बेशक शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है''। (सूरे लुकमान-१३)

लुक़मान ने अपने बच्चों से कहा था कि तुम आलिमों के साथ बैठा करो अगर तुम्हारे पास इल्म न होगा तो वह तुम को इल्म देंगे और अगर इल्म है तो वह बढ़ जाएगा।

कुरआन मजीद की फ़ज़ीलत और बर्कत से मुत्अल्लिक हदीसें

मौलाना मुहम्मद दाऊद राज़ रह०

हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

''ऐ मुसलमानों तुम में बेहतरीन वह मुसलमान है जो कुरआन पाक सीखने वाला और सिखाने वाला है'' (बुख़ारी शरीफ)

इस हदीस में कुरआन मजीद देख कर पढ़ने वाले, ज़बानी पढ़ने वाले, तर्जुमा और तफ़सीर पढ़ने वाले सब दाखिल हैं। पढ़ने के साथ-साथ उसका तर्जुमा और तफ्सीर भी समझने की आवश्यकता है, ताकि कुरआन मजीद से दुनिया व आख़िरत को सुधारने की हिदायत हासिल हो। इस हदीस से उन इस्लामी पाठशालाओं और प्रारंभिक शिक्षा के मदर्सों की भी अहमियत साबित होती है जिनमें कुरआन मजीद की शिक्षा दी जाती है। इन पाठशालाओं के चलाने वाले भी इसी फ़ज़ीलत के पात्र हैं।

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

''निसंदेह अल्लाह तआला इस किताब (कुरआन) पर अमल करने और इसके अनुसार जिन्दगी गुज़ारेन से बहुत सी कौमों को बुलन्द मर्तबा और कामियाबी अता करेगा और बहुत सी क़ौमों को इस (कुरआन) पर अमल न करने की वजह से ज़लील और रूसवा करेगा। (मुस्लिम शरीफ)

इस हदीस से साबित होता है कि कुरआन पाक पर अमल करना दुनिया व आख़िरत में तरक्की की ज़मानत है और उनको छोड़ देना जिल्लत और गुमराही का सबब है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को इस हदीस पर गौर करने की तौफीक अता फरमाये। आमीन

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़िअल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

''कुरआन मजीद में महारत (निपुणता) रखने वाला उन लिखने वालों के साथ हो गा जो शरीफ़ और नेक लोग हैं। और जो शख़्स कुरआन मजीद पढ़ते समय अटक-अटक कर पढ़ता है और कठिनाई और मशक़्क़त महसूस करने के बावजूद कुरआन की तिलावत में लगा रहता है, उसको दो-गुना सवाब मिलेगा। (बुख़ारी, मुसिलम)

अर्थात कुरआन पाक में अभ्यास और मश्क़ करने वाला उन फ़रिश्तों के साथ हो गा जो कुरआन पाक को ''लौहे महफ़ूज़'' से नक़ल कर के पहले आसमान पर लाते हैं। और कुरआन पाक जो सरलता से न पढ़ सके लेकिन कोशिश करता रहे तो उसको दो-गुना सवाब मिलता है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत

है कि रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया

''हसद करना जाइज़ नहीं मगर दो शख़्सों पर एक वह जिसको अल्लाह ने कुरआन पाक का इल्म दिया और वह दिन-रात उसके साथ क़ियाम करता है (यानी नमाज़ में उसे क़िरात के तौर पर पढ़ता है) दूसरा वह शख़्स है जिसको अल्लाह ने धनवान बनाया और वह अपने धन को अल्लाह की राह में दिन-रात ख़र्च करता रहता है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हज़रत उबादा बिन सामित रजिअल्लाहो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

''जिसने नमाज़ में सूरः फ़ातिहा को न पढ़ी उसकी नमाज़ नहीं होगी'' (बुखारी, मुस्लिम)

सूरे फातिहा कुरआन मजीद का सत और निचोड़ है। इस सूरे के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। यह वह सूरे है जिसको नमाज़ की रूह कहा गया है। इसीलिये इमाम और मुक़्तदी को सिर्री और जेहरी नमाज़ों में इस सूरे का पढ़ना अनिवार्य है बग़ैर इस सूरे के पढ़े नमाज़ ही न होगी।

हज़रत अबू हुरैरह रजि० से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

''अपने घरों को क़ब्रिस्तान न बनाओ। बिला शुब्हा उस घर से शैतान निकल भागता है जिसमें सूरे बक़रा पढ़ी जाती है। (मुस्लिम शरीफ)

हर घर में कुरआन पाक की तिलावत होनी चाहिये सूरे बकरा ऐसी मुबारक सूरे है कि जिस घर में पढ़ी जाये वहां शैतान का क्या काम।

हज़रत अबू उमामा रजिअल्लाहो अन्हो से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना :

''कुरआन पढ़ो! इसलिये कि वह क़ियामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिये सिफ़ारिशी बनकर आयेगा। दो चमकती और जगमगाती सूरतों को अवश्य पढ़ा करो। यह सूरः बकरा और सूरे आले इमरान हैं। यह दोनों सूरतें क़ियामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिये बादल बन कर या छांव बन कर आयेंगी या पक्षियों की दो जमाअतों की तरह जो पर बांध कर उड़ते हों, इसी प्रकार उड़कर आयेंगी और अपने पढ़ने वालों की बख़्शिश के लिये अल्लाह पाक से झगड़ेंगी। सूरे बकरा को अवश्य पढ़ा करो। उसका ले लेना बर्कत है और छोड़ देना हसरत का कारण। बुरे लोग इसकी ताक़त नहीं रख सकते। (मुस्लिम शरीफ)

हज़रत इब्ने मसऊद रजिअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

''जिस शख़्स ने किसी रात में सूर बकरा की अन्तिम दो आयतों को पढ़ लिया, वह (पूरी रात) उसकी सुरक्षा के लिये काफी हो गयीं (बुख़ारी, मुस्लिम)

अन्तिम दो आयतों से मुराद ''आ-म-नर्रसूलु बिमा उनज़िला'' से सूरे के अंत तक।

हज़रत उबई बिन कअ्ब रजिअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अबू मुन्ज़िर से दो मर्तबा प्रश्न किया।

''अल्लाह की किताब में कौन सी सबसे उत्तम आयत तुम को याद है? (यह प्रश्न आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सहाबी से दो बार किया) उन्होंने उत्तर में ''आयतुल कुरसी'' का नाम लिया, तो आपने उनके सीने पर अपना

हाथ रख कर फरमाया ऐ अबू मुन्ज़िर तुमको कुरआन का इल्म मुबारक हो गोया आपने प्रसन्न होकर उनको शाबाशी दी'' (मुस्लिम शरीफ)

हज़रत अबू दर्दा रजि० से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

''क्या तुम में से कोई शख्स एक रात में तिहाई कुरआन मजीद नहीं पढ़ सकता? सहाबा ने कहा कि यह भला कैसे संभव है? आपने फ़रमायाः ''कुल हुवल्लाहु अहद'', तिहाई कुरआन के बराबर है'' (मुस्लिम शरीफ)

मतलब यह है कि जो शख्स इस सूरे को एक मर्तबा पढ़ेगा तो गोया उसने एक तिहाई कुरआन पढ़ा और उसको इस सूरे के एक बार पढ़ने के बदले में एक तिहाई कुरआन के पढ़ने का सवाब मिलेगा।

हज़रत अनस बिन मालिक रजि० से रिवायत है कि एक सहाबी ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम मैं सूरे ''कुल हुवल्लाह'' को बहुत ही पसन्द करता हूं। आप सल्लल्लाहु सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

निसंदेह उसकी मुहब्बत तुम्हें जन्नत में दाख़िल करायेगी। (मुस्लिम)

पाठक गण ध्यान दें

१-जल्द से जल्द बकाया राशि भेज दें। २-अगर आपको हर महीने की ५ तारीख को पत्रिका न मिले तो इसके बारे में कार्यालय को सुचित करें। न मिलने की सूरत में दूसरी कापी भेजी जायेगी, लेकिन शिकायत करने से पहले अपने नजदीकी डाकखाने पर जानकारी हासिल कर लें। ३-नये खरीदारों से अनुरोध है कि अपने पते में फोन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर और पिन कोड भी लिखें। ४-पुराने खरीदारों से अपील की जाती है कि यदि उनका कोई फोन नम्बर या मोबाइल नम्बर हो तो पोस्ट कार्ड पर या फोन के जरिये अपने खरीदारी नम्बर का हवाला देकर अवश्य भेज दें ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे सम्पर्क किय जा सके। ५- मनी आर्डर या हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से पत्रिका के सदस्य बनने वालों को यह सूचित किया जाता है कि रसीद कटवाने के बाद दूसरे महीने ही में पत्रिका भेजी जायेगी। ६- किसी भी तरह की शिकायत के लिये इस नम्बर पर संपर्क करें। ७. नए और पुराने सदस्यों से अुनरोध है कि नक़द पैसा कोरियर और जनरल डाक से न भेजें। इसलाहे समाज के बारे में किसी भी तरह की शिकायत के लिये ३ बजे से ५ बजे तक फून करें। 011-23273407

मानव अधिकार का उल्लेख इस्लामी शिक्षाओं की रोशनी में

डा० मुहम्मद तैयब शम्स (तीसरी एवं आखिरी अंशिका)

जानवरों, पक्षियों, पेड़ पौदों के अधिकार

इस्लाम में तमाम जानदार और निर्जीव (गैरजानदार) के अधिकार को निर्धारित किया गया है अकारण पेड़ पौधों और निर्जीव को काटने की सख़्त मनाही है। तमाम चौपाये और गैर चौपायों के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया गया है। इन्सान के अलावा संसार में जितनी सृष्टि हैं वह सब इन्सान ही के लिये अल्लाह का इंआम और एहसान हैं। इन नेमतों पर अल्लाह की शुक्रगुज़ारी करनी चाहिये और इन सबके अधिकार को भी अदा करना चाहिये ताकि समाज और दुनिया की रोनक और मध्यमार्ग बाकी रहे। हज़रत अबू हुरैरह रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक शख्स रास्ते पर जा रहा था कि उसे सख्त प्यास महसूस हुयी, वह एक कुवें में उतर कर पानी पी कर बाहर आ गया (बाहर आ कर) उसने एक कुत्ते को देखा जिस की जीभ अत्यंत प्यास की वजह से बाहर निकल रही थी, वह सख्त प्यास की वजह से जमीन की गीली मिटटी को चाट रहा था तो इस शख्स ने सोचा कि जिस तरह मुझे सख़्त प्यास लगी थी उसी तरह कुत्ते को भी सख़्त प्यास लगी है, वह शख्स फिर कुवें में उतर कर अपने जुराब में पानी भर कर कुत्ते को पिलाया, अल्लाह इस शख्स के कर्म से इतना खुश हुआ कि उसको बख्श दिया। सहाब-ए-किराम ने अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से पूछा हमारे लिये जानवरों के साथ भलाई करने में भी सवाब है। तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस का जिगर नर्म और रसीला (जानदार) है उसमें सवाब है। (सहीह बुखारी-५६६३ सहीह मुस्लिम २२४४)

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक औरत बिल्ली की वजह से जहन्नम में चली गयी, बिल्ली को औरत ने बांध रखा था न उसे कुछ खिलाती थी और न उसे खोलती थी ताकि वह जमीन के कीड़े मकोड़े में से कुछ खा लेती यहां तक कि औरत की इस लापरवाही की वजह से वह बिल्ली मर गयी। (सहीह मुस्लिम २६१९)

समता और उदारता का अधिकार

इस्लमा में मर्द और औरत, मालिक और गुलाम, अमीर गरीब, रंग व नस्ल, कौम व मजहब के भेद भाव किये बिना सबके अधिकार बराबर हैं चाहे वह इन्सान किसी भी कबीले से हो, अरबी हो या गैर अरबी, गोरा हो या काला

सब बराबर का हक रखते हैं, क्योंकि सभी इन्सान आदम की औलाद हैं। और कबाइली गर्व, माल, दौलत सबके सब दुनियावी शान व शौकत हैं। अल्लाह की नजर में सबसे अच्छा इन्सान वह है जो सभी सृष्टि के अधिकारों की सुरक्षा करता हो, जो सबसे ज्यादा परहेजगार हो, शरीफ और अल्लाह से डरने वाला हो। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं''। सूरे हुजूरात-१०)

हज़रत अबू हुरैरह रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सन्देशवाहक) हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः तुम एक दूसरे से डाह और हसद न करो, न क्रय-विक्रय में बोली बढ़ा कर एक दूसरे को धोका दो, न आपस में नफरत रखो, न एक एक दूसरे से बेरूखी करो और न तुम में से कोई एक दूसरे के सौदे पर सौदा करे और ऐ अल्लाह के बन्दो भाई भाई बन जाओ, मुसलमान मुसलमान का भाई है न उसपर अत्याचार करे, न उसको हकीर समझे और न उसको बेसहारा छोड़े। तकवा (अल्लहा से भय) यहां है और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपने सीने की तरफ इशारा करते हुये तीन बार फरमाया ''एक शख्स के बुरा होने के लिये यही काफी है कि वह अपने भाई को हकीर (कमतर, तुच्छ) समझे, हर मुसलमान का खून, उसका माल और उसकी इज्ज़त दूसरे मुसलमान पर हराम है''। (सहीह मुस्लिम)

अल्लाह के रसूल (मैसेन्जर) सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर पांच हक़ हैं, सलाम का जवाब देना, बीमार की बीमार पुर्सी करना, जनाज़ों के पीछे चलना, दावत कुबूल करना और छींकने वाले की छींक का यरहमोकल्लाह से जवाब देना

हज़रत अबू हुरैरह रजिअल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (मैसेन्जर) सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर पांच हक़ हैं, सलाम का जवाब देना, बीमार की बीमार पुर्सी करना, जनाज़ों के पीछे चलना, दावत कुबूल करना और छींकने वाले की छींक का यरहमोकल्लाह से जवाब देना और सहीह मुस्लिम की रिवायत में यही भी है कि जब वह भलाई तलब करे तो उसके साथ भलाई करो।

इन्सान की हैसियत से हमारा वजूद अल्लाह का एक अनोखा इंआम एवं सम्मान है। इन्सान सभी सृष्टि में श्रेष्ठ है और संसार के हर कण का वजूद इन्सान के लिये है। संसार के सृष्टा की मंशा भी यही है कि संसार के अन्य जीव निर्जीव के साथ इन्सानों के अधिकार का ख्याल रखा जाये ताकि यह चमन हमेशा हरा भरा और तरोताज़ा रहे। सारांश यह है कि मानव अधिकार के बारे में इस्लाम धर्म की शिक्षा बुनियादी तौर पर इन्सान के सम्मान, और समता पर आधारित है।

कुर्बानी के महत्वपूर्ण मसाइल

कुरबानी का मक़सद केवल गोश्त खाना नहीं है, बल्कि कुर्बानी का मक़सद यह है कि कुर्बानी करने वाला यह स्वीकार करे कि हम आज जिस तरह इस जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं वह केवल एक नमूना है अगर ज़रूरत पड़ी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपनी कीमती से कीमती चीज़ को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते हैं और नेकी की प्रेरणा और बुराई को रोकनें में हर प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार हैं और देश व समाज और मानवता के विकास एवं उत्थान के लिये हमेशा तत्पर हैं।

हज़रत अली रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि कुर्बानी के चार दिन हैं एक ईदुल अज़हा का दिन (अर्थात १० जिलहिज्जा) और तीन दिन इसके बाद (नैलु अवतार भाग-५ पृष्ठ-१३५)

हज़रत अली, हज़रत जुबैर बिन मुतइम रजिअल्लाहो अन्हुम, हज़रत अता, हज़रत हसन बसरी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत सुलैमान बिन मूसा, इमाम अबू दाऊद, अन्य सहाब-ए-किराम, प्रतिष्ठित ताबईन, तबअ् ताबईन, और मुहद्दिसीन का भी यह मसलक है कि १० जिलहिज्जा के बाद तीन दिन और कुर्बानी करना जायज़ और दुरूस्त है। (मुस्लिम भाग-२, पृष्ठ १५२)

जुल हिज्जा के दस दिन का अर्थः- जुलहिज्जा इस्लामी साल का आखिरी महीना है और हुर्मत वाले चार महीनों में से एक, जुलहिज्जा महीने के दस्वें दिन ईदुल अजहा का पहला दिन होता है इन दस दिनों का बयान कुर्आन में विशेष तौर से हुआ है (सूरे हज)

इन दस दिनों की अहमियत इस से भी स्पष्ट होती है कि अल्लाह ने इन दिनों की सौगन्ध (क़सम) खाई है। (सूरे फज्र)

इन दस दिनों के आमाल का मुकाबला इन्हीं जैसे आमाल से होगा, मतलब यह है कि इन दिनों की नफली इबादत दूसरे दिनों की नफली इबादत से अफजल है। इन दिनों की फर्ज इबादत दूसरे दिनों की फर्ज इबादत से अफज़ल है। यह मतलब भी नहीं है कि इन दिनों की नफली इबादत आम दिनों की फर्ज इबादत से भी अफज़ल है। (पांच अहम दीनी मसायल)

जुल हिज्जा के दस दिनों में से एक दिन ९ जुलहिज्जा ऐसा है कि अल्लाह तआला ने इस में दीने इस्लाम के मुकम्मल होने की खुशखबरी सुनाई थी। (सहीह़ बुखारी)

९ जुल हिज्जा के दिन अल्लाह तआला साल के बाकी दिनों के मुकाबले में ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से आज़ादी देता है (सहीह़ मुस्लिम)

जुलहिज्जा का दस्वां दिन सब दिनों का सरदार और सब दिनों से अफजल है। (अबू दाऊद)

इन फजीलतों का कारण यह है कि इन दिनों में तमाम बुनियादी इबादतें जमा होती हैं। यानी नमाज, रोज़ा, हज सदका इन दिनों के अलावा और किसी दिन यह इबादतें जमा नहीं होतीं। (फतहुलबारी)

इन दिनों में जुस्तजू से इबादत करनी चाहिये। (सुनन दारमी)

खास तौर से अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और तमाम तारीफ अल्लाह के लिये है का विर्द ज्यादा से ज्यादा करना चाहिये। (मुस्नद अहमद)

कुछ सहाबा रज़िअल्लाहु तआला अन्हुम इन दिनों में तकबीरात कहते थे यहां तक कि बाज़ार में भी इन का विर्द करते और इनकी तकबीरात को सुन कर दूसरे लोग भी तकबीरात शुरू कर देते थे। (सहीह बुखारी)

९ जुलहिजा का रोज़ा रखने से पिछले एक साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। (सहीह मुस्लिम)

हज करने वाले के लिये मुस्तहब है कि ९ जुलहिज्जा के दिन रोजा न रखे। (तोहफतुल अहवज़ी)

जो आदमी कुर्बानी करना चाहता है वह इन दस दिनों में कुर्बानी करने तक अपने जिस्म के बाल और नाखुन आदि नहीं काट सकता। (सहीह़ मुस्लिम)

कुर्बानी का शाब्दिक अर्थः- कुर्बानी अर्बी जुबान के शब्द कुर्बान की बदली हुई शक्ल है और शाब्दिक पहलू से इस से मुराद हर वह चीज है जिससे अल्लाह का तकर्रुब (निकटता) हासिल किया जाये, चाहे जबीहा हो या कुछ और। (अलमोजमुलवसीत)

कुछ ओलमा के नजदीक कुर्बानी का शब्द कुर्ब से बना है चूंकि इसके माध्यम से अल्लाह की नजदीकी हासिल की जाती है इस लिये इसे कुर्बानी कहा जाता है।

परिभाषिक अर्थः- कुर्बानी से मुराद ऊंट भेड़ और बकरियों में से कोई जानवर ईदुल अज़हा के दिन और तश्रीक के दिनों ११,१२,१३ जुलहिज्जा में अल्लाह तआला का कुर्ब (निकटता) हासिल करने के लिये जबह करना है।

कुर्बानी का हुक्मः- जुम्हूर के नजदीक कुर्बानी सुननते मुअक्कदः है। लेकिन अल्लामा शौकानी र-ह-म-हुल्लाह ने अपनी किताब अस्सैलुल जर्रार में दलायल (तर्क) लिखने के बाद लिखा है कि कुर्बानी वाजिब साबित होती है लेकिन यह वुजूब ताकत रखने वालों के लिये है जिसके पास माली ताकत नहीं है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। (मिर्आतुलमफातीह)

कुर्बानी के शरायतः-१. खालिस अल्लाह की रिज़ा के लिये हो। (सूरे बय्यना, सूरे माइदह)

२. पाकीज़ा माल से हो हराम माल से न हो। (सहीह मुस्लिम) ३. सुन्नत के अनुसार हो। अगर कोई ईद की नमाज़ से पहले कुर्बानी करे तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी क्योंकि उसने सुन्नत की मुखालिफत की है। (सहीह बुखारी) ४. कुर्बानी का जानवर उन खामियों और कमियों से पाक हो जिन की बुनियाद पर शरीअत ने कुर्बानी करने से रोका है। दो दांता होना जरूरी है, अगर ऐसा जानवर मिलना मुश्किल हो या कोई दूसरी मजबूरी हो तो भेड़ का खेरा एक साल का कुर्बानी करना सहीह है। (मुस्लिम)

किन जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं

१. वाजेह तौर से काना हो। २. ऐसा बीमार जिसकी बीमारी जाहिर हो। ३. ऐसा लंगड़ा जिसका लंगड़ापन जाहिर हो। ४. ऐसा कमज़ोर जानवर जिसमें चर्बी न हो। ५. कान में सूराख हो। (अबू दाऊद)

मसायलः-

- ❑ खसी जानवर की कुर्बानी जायज है। (सहीह इब्ने माजा)
- ❑ हामिला (जिसके पेट में बच्चा हो) जानवर की कुर्बानी भी जायज है। (सहीह अबू दाऊद)
- ❑ हामिला जानवर का जबह करना ही पेट के बच्चे के लिये काफी है दिल चाहे तो उसे भी खाया जा सकता है,जबह करने की जरूरत नहीं।(सहीह अबू दाऊद)
- ❑ कुर्बानी के जानवर को

खिला पिला कर मोटा ताजा करना चाहिये। (सहीह़ बुखारी)

❑ ईद के पहले दिन कुर्बानी करना अफज़ल है क्योंकि यह दिन सब दिनों से अफजल है। (सहीह अबू दाऊद)

❑ कुर्बानी के चार दिन हैं, १३ जुल हिज्जह को सूरज डूब जाने तक कुर्बानी की जा सकती है। (सहीह अल जामिउस्सगीर)

❑ कुर्बानी के चार दिनों की रातों में भी कुर्बानी की जा सकती है।

❑ कुर्बानी करने का वक़्त ईदुलअज़हा की नमाज पढ़ने के बाद शुरू होता है। (बुखारी)

❑ कुर्बानी के जानवर पर सवार होना जायज है। (बुखारी)

❑ जिस जानवर को कुर्बानी की निय्यत से खरीद लिया जाये उसे बेचना अवैध है (अस्सैलुल जर्रार अल्लामा शौकानी)

❑ जानवर कुर्बानी करने के बजाये उसकी कीमत का सदक़ा करना दुरूस्त नहीं है।(मिर्आतुल मफातीह)

❑ अगर कोई आदमी ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले ही जनावर जबह कर दे तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी बल्कि उसे ईद की नमाज के बाद एक दूसरा जानवर जबह करना पड़ेगा। (सहीह बुखारी)

❑ ईदगाह में कुर्बानी करना सुन्नत है। (बुखारी)

घर में या किसी दूसरी जगह अगर कुर्बानी कर ली जाये तो दुरूस्त है क्योंकि ईदगाह में कुर्बानी करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाजिम करार नहीं दिया है और न सब लोग ऐसा कर ही सकते हैं।

❑ छुरी खूब तेज होनी चाहिये। (सहीह मुस्लिम)

❑ जानवर को किब्ला की तरफ करके जबह करना मुस्तहब है। (मौकूफ इब्ने उमर)

❑ कुर्बानी वाले जानवर के पहलू पर जबह के वक़्त पांव रखना मसनून है। (बुख़ारी)

❑ बिसमिल्लाह वल्लाहु अक्बर पढ़कर जानवर को नह्र या जबह किया जायेगा (बुख़ारी)

❑ दांत और नाखुन को छोड़कर हर खून बहा देने वाली चीज से जानवर जबह किया जा सकता है। (बुखारी)

❑ मालिक का अपने हाथ से जानवर जबह करना अफजल है (बुखारी)

❑ लेकिन दूसरे से भी जबह करवाया जा सकता है। (बुखारी, अबू दाऊद)

❑ औरत भी जानवर जबह कर सकती है।(बुखारी)

❑ अल्लाह के अलावा दूसरे के नाम पर जबह करने वाला लानती है। (सहीह मुस्लिम)

❑ पूरे घर वालों की तरफ से एक जानवर ही किफायत कर जायेगा (सहीह तिर्मिजी)

कुर्बानी करते वक़्त तकबीर के साथ साथ ''अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी अव मिन फुलां'' ऐ अल्लाह मेरी तरफ से या फुलां की तरफ से कुबूल फरमा कहना भी दुरूस्त है। (मुस्लिम)

❑ कसाई को खाल या गोश्त मजदूरी के तौर पर देना मना है। (मुस्लिम)

कुर्बानी का गोश्त गरीबों और मिस्कीनों पर सदक़ा किया जा सकता है और खुद भी खाया जा सकता है। (सूरे हज)

❑ गोश्त को बराबर तीन हिस्सों में बांटना जरूरी नहीं है क्योंकि शरीअत ने इसकी पाबंदी नहीं लगाई बलकि इसके विपरीत नबी स० ने जी भर खाने की इजाजत दी है। (सहीह तिर्मिज़ी)

❑ लेकिन यह जहन में रहे कि इस हदीस में जहां खाने का बयान है वहां खिलाने का भी जिक्र

है। इस लिये इतना ना खाया जाये कि हदीस के अगले हुक्म "खिलाओ" पर अमल न हो सके।

- अगर कोई गोश्त का कुछ हिस्सा जखीरा (जमा) करना चाहे तो शरई (इस्लामी क़ानून के) एतबार से इसकी इजाजत है। (बुखारी)
- गैर मुस्लिम अगर मुस्तहिक (पात्र) है तो उसे भी गोश्त दिया जा सकता है। (अलमुगनी इब्ने कुदामा)
- कुर्बानी की खाल का मसरफ (खर्च करने की जगह) वही है जो गोश्त का है। (बुखारी)
- कर्जदार आदमी कुर्बानी कर सकता है क्योंकि ऐसी कोई दलील नहीं जो उसे कुर्बानी करने से रोकती हो। (पांच अहम दीनी मसायल)
- हज के लिये जो ऊंट खरीदा गया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सात अफराद शरीक हो सकते हैं। (मुस्लिम)

कुर्बानी करने वाले अफराद जुलहिज्जा का चांद नजर आने से लेकर कुर्बानी करने तक बाल और नाखुन नहीं काट सकते। (मुस्लिम)

(जरीदा तर्जुमान से संकलित)

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस के ज़ेरे एहतमाम

18वाँ आल इंडिया मुसाबक़ा

हिफ्ज़ व तजवीद और तफसीर

कुरआन करीम

दिनांक 28-29 जुलाई 2018

शनिवार-रविवार स्थानः डी-254,

अहले हदीस कम्लेक्स ओखला,

नई दिल्ली-25

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2018

एक उम्मीदवार केवल एक ही

श्रेणी में भाग ले सकता है फार्म मर्कज़ी

जमीअत की वेब साइट

www.ahlehadees.org से डाउन लोड किया

जा सकता है।

अधिकृत जानकारी के लिये सम्पर्क करें।

मुसाबका हिफ्ज व तजवीद व तफसीरे कुरआन कमेटी

011-23273407 Fax 011-23246613

Email.

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

हज और उमरा के फज़ाइल एवं बरकात

फजीलतुश्शैख अबू अदनान मुहम्मद मुनीर कमर

नमाज़, रोज़ा और ज़कात की तरह हज और उमरा भी एक महत्वपूर्ण इबादत है बल्कि एक एतबार से यह अन्य इबादतों से जलीलुल कद्र एवं अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि नमाज़ और रोज़ा केवल शारीरिक इबादत है और जकात माली इबादत है जबकि हज और उमरा माली (आर्थिक) और शारीरिक हर किस्म की इबादत का संग्रह और व्यापक है।

इस्लाम धर्म में हज और उमरा की इतनी अहमियत है कि हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इसे इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक स्तंभ करार दिया है जैसा कि सहीह बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो से बयान है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं और हज़रत मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नमाज़ काइम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और बैतुल्लाह शरीफ का हज करना।

हज्जे मबरूर के बारे में ओलमा ने विभिन्न व्याख्या बयान की है। शैखुल हदीस हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह रहमानी रह० ने ''अल कुरा कासिदो उम्मिल कुरा'' के हवाले से लिखते हैं ''बाज लोगों के नदजीक हजजे मबरूर से मुराद (तात्पर्य) वह हज है जिसके दौरान कोई पाप न किया हो। बाज कहते हैं कि इससे मुराद वह हज है जो अल्लाह के यहां मकबूल हो जाये। बाज़ का कहना है कि इससे वह हज मुराद है जिसमें दिखावा, फह्हाशी और झगड़ा न किया गया हो और बाज़ ओलमा का कहना है कि हज्जे मबरूर की पहचान यह है कि हज के बाद आदमी पहले की अपेक्षा बेहतर हो कर लौटे और गुनाह की कोशिश न करे''।

कितने खुश नसीब हैं वह लोग जो हज के फरीज़े का सौभाग्य प्राप्त करते हैं और पिछले गुनाहों से पूरे तौर पर पवित्र हो कर लौटते हैं जैसे कोई बच्चा जन्म लेते वक्त इस दुनिया में गुनाहों से पवित्र होकर आता है जैसा कि सहीह बुखारी में हज़रत अबू हरैरह रजिअल्लाहो तआला अन्हो का बयान है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

जिसने हज किया और हज के दौरान उसने न कोई शहवानी काम किया और न ही उसने फिस्क व फुजूर (पाप) किया वह गुनाहों से इस तरह पाक होकर लेटेगा गोया आज ही उसकी मां ने उसे जनम दिया।

सहीह मुस्लिम और इब्ने खुजैमा में हज़रत इब्ने शुमासा से रिवायत है कि प्रसिद्ध सहाबी हज़रत अम्र बिन आस पर मौत का आलम तारी हुआ तो उस वक़्त हम उनके पास मौजूद थे वह देर तक अल्लाह के भय से रोते रहे। मैं अल्लाह के रसूल के पास आया और कहा :

''ऐ अल्लाह के रसूल अपना

हाथ बढ़ाइये ताकि मैं बैअत करूं और जब आप ने अपना हाथ बढ़ाया तो मैंने अपना हाथ खींच लिया, आपने फरमायाः अम्र क्या बात है? मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल मैं एक शर्त पेश करना चाहता हूं फरमाया वह क्या है? मैंने कहाः सिर्फ यह कि अल्लाह मुझे मआफ कर दे तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ अम्र क्या तुम्हें मालूम नहीं इस्लाम कुबूल करना पहले के तमाम गुनाहों को मआफ कर देता है और हिजरत करना (दीन के लिये) पहले गुनाहों को खत्म कर देता है और हज करना भी तमाम गुनाहों को मिटा देता है।

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

एक उमरा दूसरे उमरे तक के तमाम गुनाहों का प्रायश्चित है और हज्जे मबरूर का बदला तो जन्नत है। (बुखारी, मुस्लिम)

हज की फर्जियत कुरआन, हदीस और इजमाए-ए-उम्मत से साबित है। कुरआन की सूरे इमरान आयत न०-९७ में अल्लाह तआला ने फरमाया हैः ''और लोगों पर अल्लाह का यह हक़ (फ़र्ज) है जो उसके घर (बैतुल्लाह शरीफ) तक पहुंचने का सामर्थ्य (इस्तेताअत) रखते हों वह इसका हज करें और जो कोई उसके आदेश की पैरवी करने से इन्कार करे तो उसे जानना चाहिये कि अल्लाह तआला तमाम दुनिया वालों से बेनियाज़ है''।

अबू दाऊद नेसाई, इब्ने माजा, मुस्तदरक हाकिम, अहमद और बैहकी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजिअल्लाहो तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

फर्ज़ हज केवल एक बार है जो ज़्यादा करे वह नफल है।

सहीह मुस्लिम नेसई इब्ने खुजैमा, दार कुतनी, बैहकी और मुसनद हदीस में हज़रत अबू हुरैरह रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लहो अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया और फरमायाः

ऐ लोगों तुम पर हज फर्ज किया गया अतः तुम हज करो एक आदमी ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल क्या हर साल हज करें नबी अकरम सल्लल्लाहो खामोश रहे यहां तक कि उस शख्स ने बार बार यही सवाल दोहराया। फिर नबी सल्लल्लहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं हां कह देता तो (हर साल हज करना) वाजिब हो जाता और तुम इसकी ताकत न रखते।

जब कोई रकम, हालात और साधन का मालिक हो जाये तो उसे हुक्म है कि वह तुरन्त इस फरीजे को अदा करे क्योंकि मुसनद अहमद में हैः ''हज के फरीजे को अदा करने में जल्दी करो इसलिये कि तुम में से कोई शख्स यह नहीं जानता कि उसे कब कोई बीमारी या सख्त ज़रूरत इससे रोक ले''।

इस और इस जैसी दूसरी हदीसों की बुनियाद पर इमाम अबू हनीफा, अबू यूसफ, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल र-ह-महुल्लाह ने सामर्थ्य हो जाने पर तुरन्त हज की अदायगी को वाजिब करार दिया (सू-ए हरम से अनुवाद, प्रकाशक मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द)

नोटः- हज और उमरा अदा करने के सिलसिले में मालूमात और तरीका जानने के लिये जेबी साइज की किताबें भी उपलब्ध हैं। मकतबा तर्जुमान दिल्ली से प्राप्त की जा सकती हैं।

जानवरों पर इस्लाम की कपादष्टि

फजलुल्लाह अंसारी

अल्लाह जिस प्रकार इन्सान पर दया करने से मेहरबान होता है उसी तरह जानवरों के साथ दया का व्यवहार करने से इन्सान को सवाब से नवाजता है और इन्सान पर इस कर्म से मेहरबान होता है। बुखारी में है हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

हर तर जिगर (जानदार) के साथ अच्छा व्यवहार करने पर सवाब मिलता है हैवान और जानवर के साथ सदव्यवहार अल्लाह की मग्फिरत और अल्लाह की खुशी की प्राप्ति का माध्यम भी है इसी प्रकार से जानवर के साथ दुर्व्यवहार (मारना और सताना) अल्लाह के क्रोध, प्रकोप और जहन्नम में जाने का कारण भी है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

''एक औरत एक बिल्ली की वजह से (दुर्व्यवहार करने के सबब) नरक में चली गयी इस औरत ने एक बिल्ली को बांध रखा था न उसे कुछ खिलाती थी और न उस बिल्ली को आज़ाद करती थी कि वह जमीन के कीड़े मकूड़े की खा ले''।

अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि एक गधा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरा जिसके चेहरे को दाग दिया गया था। आपने गधे के साथ इस दुर्व्यवहार को देखकर फरमायाः

''तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने उस शख्स पर लानत की है जो चेहरे पर दाग दे या उसके चेहरे पर मारे''।

''तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने उस शख्स पर लानत की है जो चेहरे पर दाग दे या उसके चेहरे पर मारे''।
जानवर के साथ अच्छा व्यवहार करने की इस अच्छी मिसाल क्या हो सकती है कि अल्लाह के रसूल ने चेहरे पर दागने वाले पर लानत भेजी है।

जानवर के साथ अच्छा व्यवहार करने की इस अच्छी मिसाल क्या हो सकती है कि अल्लाह के रसूल ने चेहरे पर दागने वाले पर लानत भेजी है।

हज़रत इब्ने उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो ने कुछ लोगों को देखा कि उन्होंने तीर अंदाजी सीखने के लिये मुर्गी को लक्ष्य (निशाना) बनाया है यह देख कर इब्ने उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो ने फरमायाः

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स पर लानत भेजी है एक पक्षी जो एक इन्सान के मुकाबले में आ ही नहीं सकता उसे भी अगर कोई निशाने बाजी के लिये इस्तेमाल करता है तो उस पर अल्लाह के रसूल ने लानत की है।

एक जानवर पर इस्लाम की यह कृपादृष्टि उसके भव्य और कृपालू धर्म होने की स्पष्ट दलील है। आज के दौर में जानवरों के साथ इस्लाम में इस प्रकार के सदव्यवहार और हमदर्दी पाठप्रद है।

स्वास्थ्य

डा० एम.एन. बैग
पोस्ट बॉक्स 18, टोंक राजस्थान 304001
मोबाइलः 9460805389

प्रश्नः कच्चे केले की सबजी सेहत के लिये लाभदायक है? मैंने एक लेख पढ़ा था जिसमें लिखा था कच्चा केला, पक्के केले से ज्यादा लाभदायक है आप इस प्रश्न का उत्तर पत्रिका में प्रकाशित करें ताकि हम सब पाठकों की मालूमात में बढ़ोतरी हो। (फुर्कान अहमद, कोलकाता)

उत्तरः केला कच्च हो या पकका दोनो ही सेहत के लिये लाभदायक है दोनों खाने की चीज़ हैं और दवा भी, कच्चे केले की सबजी बना कर खाते हैं।

इसमें पोटेशियम प्रयाप्त मात्रा में पाया जाता है इसलिये पाचन तंत्र (हाजमा) भी ठीक रहता है और एजाबत भी खुलकर होती है, मानसिक तनाव भी दूर होता है, दिमागी सुकून का एहसास होता है लेकिन ध्यान रहे कि दिन भर में एक याद दो केलों से ज्यादा की सबजी इस्तेमाल न करें वर्ना गैस की शिकायत हो सकती है इसलिये कि इसमें इस्टार्च भी अधिक मात्रा में पाया जाता है खाद्य पदार्थों के माहिरीन का यह भी ख्याल है कि इसकी सबजी शूगर की बीमारी में भी लाभदायक है।

प्रश्नः फालिज (Payra Lysis) क्यों होता है अर्थात किन कारणों से होता है? क्या इस मर्ज का संपूर्ण एलाज संभव है और क्या फालिज ग्रस्त के अंगों की ताकत का पूरी तरह से लौटना संभव है?

उत्तरः आम तौर पर होता यह है कि बेहतरीन एलाज के बावजूद कमजोरी दूर नहीं होती और मरीज थोड़े मोड़े फर्क के साथ अपाहिज एवं विवश ही रहता है ग्रस्त अंग अर्ध स्वस्थ्य ही रहते हैं। फालिज से ग्रस्त हाथ पैर तो कमज़ोर ही रहते हैं, गोया सूख जाते हैं।

फालिज इस समय बहुत तेज़ी से फैलने वाला मर्ज है मौजूदा दौर की भागदौड़, मानसिक तनाव, फास्टफूड, मिलावट, टेन्शन की अधिकता, नींद की कमी मादक पदार्थों का सेवन, प्रतिस्पर्धा का अस्वस्थ्य रूझहान आदि के अलावा धर्म से दूरी से समाज स्वयं अपने किये की सजा पा रहा है।

शूगर की बीमारी, पागलपन, अपराध का रूझहान, हाई बलड प्रेशर, दिल के मर्ज, कैंसर एड्स और अन्य लैंगिक मर्ज आदि ने इन्सान का जीना दूभर कर दिया है।

सारांश यह है कि फालिज आम तौर पर हाई बलड प्रेशर के कारण, दिमाग से खून के रसाव (Cerebal Haemorhage) से होता है-दिमाग में खून का थिक्का (Clot) बन जाता है जो भेजे पर दबाव डालता है और इसी दबाव के परिणाम में फालिज होते है। यह ख्याल सहीह नहीं है कि फालिज सर्दी की वजह से होता है और न यह कोई सर्द या बर्फीला मर्ज है यह सोच गलत है। अगर मर्ज का पता चलते ही क्लाटको आप्रेशन के द्वारा निकाला जाये तो मरीज को तुरन्त आराम मिलता है।

(जमाअती ख़बर)

जिलई जमीअत अहले हदीस उत्तर दीनाजपुर में हज तरबियती कैम से अमीर मोहतरम का खेताब

७-८ जुलाई २०१८ को जिलई जमीअत अहले हदीस उत्तर दीनाजपुर पश्चिम बंगाल के द्वारा मदर्सा मिफताहुल उलूम बिलासपुर उत्तरदीनाजपुर के परिसर में एक दिवसीय हज तरबियती कैम से मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असगर अली इमाम इमाम महदी सलफी ने खेताब करते हुये कहा कि हज तमाम इबादतों में अफज़ल और व्यापक है। उन्होंने बेहतरीन नसीहतों और हज की मकबूलियत से संबन्धित बहुमूल्य बातों का उपदेश दिया और हज के लिये जाने वालों को हज की अदायगी की प्ररेणा देते हुये हदीस की रोशनी में हज के अहकाम और मसाइल को स्पष्ट किया।

इस हज तरबियती कैम्प प्रोग्राम की अध्यक्षता मौलाना गयासुददीन रियाजी अमीर जिलई जमीअत अहले हदीस उत्तर दीनाजपुर और मौलाना अब्दुल मजीद फैजी ज्वाइंट सविच जिलई जमीअत अहले हदीस उत्तर दीनाजपुर ने की जबकि इस प्रोग्राम का संचालन मौलाना वाहिदुर्रहमान असरी और मौलाना अली आज़ाद बुखारी ने किया। मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असगर अली सलफी ने इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि की हैसियत से शिर्कत की।

प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस विहार के सचिव मौलाना इंआमुल हक मदनी, सूबाई जमीअत अहले हदीस बिहार के नायब अमीर मौलाना मुहम्मद रिजवान, मौलाना वाहिदुर्रहमान असरी, मौलाना अबुल कासिम सलफी, मौलाना गयासुददीन सलफी, मौलाना इंआमुल हक बुखारी, मौलाना हसीबुर्रहमान मदनी, मौलाना मुतीउर्रहमान शीस मुहम्मद मदनी, डा० मनसूर आलम मदनी, मौलाना तनवीर जकी मदनी, मौलाना अब्दुर्रहमान आदिल मदनी, मौलाना मुर्शिद मदनी, मौलाना हसीबुर्रहमान फैजी, मौलाना मुहम्मद इब्राहीम सईद रियाजी, मौलाना मुतीउर्रहमान मदनी, मौलाना नौशाद आलम, मौलाना मूसा आलम, मौलाना नजीर हुसैन सनाबिली आदि ने इस प्रोग्राम में शिर्कत और खेताब किया।

प्रोग्राम की शुरूआत हाफिज़ अबू जर साहब की तिलावत से हुयी। प्रोग्राम के अंत में जिलई जमीअत अहले हदीस उत्तर दीनाजपुर के जवाइंट सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल मजीद फैजी ने अपने सदारती कलिमात के बाद मज्लिस के इखतेताम का एलान किया इस अवसर पर अमीरे मोहतरम और अन्य मेहमानों ने प्रोग्राम शुरू होने से पहले मदर्सा तहफीजुल कुरआन का दौरा किया। अमीरे मोहतरम ने इस सफर में मअ्हुदल कुरआन वस्सुन्ना के भव्य समारोह की अध्यक्षत की और खेताब किया।

घमण्ड एक बुरी आदत

मुहम्मद फारूक सलफी

तकब्बुर (घमण्ड) का अर्थ यह है कि आदमी अपने आप को सबसे बड़ा समझे और दूसरे को कमतर जाने। याद रहे कि घमण्ड महा पाप, शैतान की आदत, मानव चरित्र की खराबी की पहली पहचान, हर बुराई की जड़, नरक में जाने का सबब और अल्लाह की नाराज़गी का माध्यम है। घमण्ड इतना संगीन गुनाह है कि अगर किसी के दिल में कण भर भी घमण्ड पाया जाता हो और वह इस घमण्ड से तौबा किये बगैर मर जाये तो वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

जिस दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर (घमण्ड) होगा तो वह जन्नत में नहीं जा सकता (सहीह मुस्लिम)

तकब्बुर को ओलमा ने महा पाप में शुमार किया है क्योंकि तकब्बुर केवल अल्लाह के लिये खास है सृष्टि के लिये तकब्बुर जायज़ नहीं है। हदीसे कुदसी है, अल्लाह तआला फरमाता है।

तकब्बुर मेरी चादर है और अज़मत मेरा एज़ार है जो कोई इन दोनों में से किसी को मुझसे छीनेगा मैं उसे अवश्य नरक में झोंकूंगा (बुखारी, मुस्लिम)

हक बात का इन्कार करना, दूसरों को कमतर समझना यह तकब्बुर का एक अंश है और घमण्ड की श्रेणी में आता है और घमण्ड अल्लाह को बिलकुल पसन्द नहीं। बुखारी मुस्लिम में है हज़रत अबू हुरैरह रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह तआला क्यामत के दिन ऐसे शख्स को कृपादृष्टि से नहीं देखेगा जो इतरा कर अपना कपड़ा घसीटता है।

दिन रात सरकशी और तूफाने बदतमीजी में अपनी जिन्दगी बसर की और अल्लाह के साथ उसके बन्दों को भी हक़ीर, कमज़ोर समझा और गलत व्यवहार किया ऐसे मुजरिमों का क्या हाल हुआ वह हमारे सामने है और पाठप्रद है। फिरऔन और उसकी कौम को अल्लाह ने समन्दर में डुबा दिया और कारून ने अपने माल व दौलत पर घमण्ड किया तो अल्लाह ने उसके माल के साथ जमीन में धंसा दिया।

इनसे पहल दुनिया की विभिन्न कौमें, कौमे आद, कौमे नूह, कौमे हूद और क़ौमे लूत सब अल्लाह के दर्दनाक अज़ाब के शिकार हुये इसी तरह से जितनी कौमों ने भी घमण्ड किया तो उन्हें अल्लाह के अज़ाब से दोचार होना पड़ा और जो तकब्बुर करता है अल्लाह उसके तकब्बुर को तोड़ देता है कभी मोहताजी में लिप्त करके, कभी बीमारी देकर कभी दी हुयी नेमत छीन कर। तकब्बुर करने का अपराध सबसे पहले इबलीस ने किया था जिसने तकब्बुर और हसद की बुनियाद पर आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दया जिसकी वजह से मरदूद और मलऊन इबलीस को जन्नत से निकाल दिया गया इसकी तफसील सूरे आराफ आयत न १२ और १३ में देखी जा सकती है।

अल्लाह को तकब्बुर कितना

नापसन्द है इसका अन्दाज़ा इससे लगाइये कि हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो नसीहत की उनमें एक नसीहत यह भी थी कि लोगों से गाल फुला कर न मिलना और जमीन पर अकड़ कर मत चलना क्योंकि अल्लाह तकब्बुर करने वाले और घमण्डी को बिल्कुल पसन्द नहीं करता (सूरे लुकमान आयत न १८) इसी तरह तकब्बुर और घमण्ड करने वाला अपमान का पात्र करार पाता है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है।

''इसी तरह अल्लाह हर मु-त-कब्बिर (घमण्डी) और सरकश दिल पर मुहर लगा देता है''। (सूरे मोमिनून-३५)

आज हमारे समाज में घमण्ड की यह बुरी आदत बड़ी तेजी से फैलती हुयी नजर आ रही है आज किसी को अपनी दौलत का घमण्ड है तो किसी को पद और अपने ज्ञान पर घमण्ड है याद रखिये जो लोग अपने पद, दौलत और ज्ञान पर घमण्ड करते हैं उन्हें इतना ज़रूर सोच लेना चाहिये कि यह तकब्बुर और घमण्ड अल्लाह को सख्त नापसन्द है। यह फिरऔन, हामान और नमरूद और शैतान की की आदत है यह अबू जहल, अबू लहब का तरीका है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की जीवनी का अध्ययन कीजिये, सहाब-ए-किराम की जीवनी पढ़िये

आज हमारे समाज में घमण्ड की यह बुरी आदत बड़ी तेजी से फैलती हुयी नजर आ रही है आज किसी को अपनी दौलत का घमण्ड है तो किसी को पद और अपने ज्ञान पर घमण्ड है याद रखिये जो लोग अपने पद, दौलत और ज्ञान पर घमण्ड करते हैं उन्हें इतना ज़रूर सोच लेना चाहिये कि यह तकब्बुर और घमण्ड अल्लाह को सख्त नापसन्द है।

यह लोग घमण्ड से कोसों दूर थे और शिष्टाचार के प्रतीक थे, यह लोग ज्ञान और कर्म के पाबन्द थे तकवा और हमदर्दी में आने वालों के लिये आदर्श थे जब इन पावन हस्तियों ने घमण्ड नहीं किया कभी किसी बात पर तकब्बुर का इज़हार नहीं किया तो फिर बाद के लोगों को यह हक कहां से मिल गया कि वह अपने ज्ञान पद, माल, तकवा और दीनवारी पर घमण्ड करें।

इस्लाम ने घमण्ड की निन्दा और शिष्टाचार पर पर बहुत बल दिया है अर्थात इन्सान स्वयं को कमतर, समझे अगर यह आदर शिष्टाचार इन्सान के अन्दर पैदा हो जाये तो ऐसे इन्सान को अल्लाह तआला बुलन्दी और सौभाग्य देता है। एक हदीस में है हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''जो अल्लाह के लिये आदर और शिष्टाचार अपनाता है अल्लाह उसको बुलन्दी देता है''

अतः अगर कोई मालदार हैसियत वाला, किसी कंपनी या संस्था का कोई पदधारी लोगों पर अपनी बड़ाई जतलाता है कमजोर लोगों और साधारण जनता को हकीर (तुच्छ) और मामूली समझता है उनके अधिकार को देने और मिलने से कतराता है और उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है तो उसे जान लेना चाहिये कि वह उन भ्रमित और घमण्ड ग्रस्त लोगों में से है जो अधिकार को अपनी मिलकियत समझते हैं और जरूरतमन्दों पर अपने दरवाजे बन्द रखते हैं अल्लाह हम सभी को घमण्ड से बचाये और आदर एवं शिष्टाचार को अपनाने की क्षमता प्रदान करे।

(प्रेस रिलीज़)

अरब यमनी खानदान के चश्मो चिराग राफे अब्दुर्रहमान अरब का इन्तेकाल

दिल्ली २ जुलाई २०१८

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने अखबार के नाम जारी एक बयान में जिलई जमीअत अहले हदीस भोपाल के पूर्व अमीर और मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की सलाहकार समीति के पूर्व सदस्य और मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के पूर्व कार्यकता जनाब मुहम्मद राफे अब्दुर्रहमान अरब के इन्तेकाल पर गहरे रंज व गम का इज़हार किया है। १ जुलाई २०१८ को अस्र बाद भोपाल में मामूली मुददत की बीमारी के बाद ८८ साल की उम्र में इन्तेकाल हो गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन।

उनका तअल्लुक हिन्दुस्तान में मुकीम अल्लामा खलील अरब और अल्लामा मोहसिन यमानी के मश्हूर यमनी इलमी परिवार से था जिसकी बहुमूल्य इल्मी व दीनी खिदमात किसी परिचय की मुहताज नहीं। आप एक बहुत ही चरित्रवान और मुख्लिस (निस्वार्थ) इन्सान थे। दीन की खिदमत का जजबा रखते थे और भलाई के कामों में हमेशा आगे रहते। वह सूबाई जमीअत अहले हदीस मध्यप्रदेश के संस्थापकों में से थे वह एक मुददत तक जिलई जमीअत अहले हदीस भोपाल के अमीर और मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की सलाहकार समीति के सदस्य रहे। अन्य मिल्ली संगठनों की गतिविधियों में भी रूचि से हिस्सा लेते थे। तामीरे मिल्लत नामक संस्था के अध्यक्ष के पद भी विराजमान रहे। उसूल और नियम के बहुत ही पाबन्द थे। वह जब भोपाल म्यूनिसिपल कारपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर के पद पर रहते हुये सर्विस से रिटायर हुये तो उन्हें मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के प्रधान कार्यालय में आफिस सचिव के पद के लिये पेशकश की गयी जिसे उन्होंने जमाअत की सेवा के जजबे से सहर्ष कुबूल कर लिया और कार्यालय को संगठित करने में पूरे लगन से काम किया लेकिन कुछ वर्ष खिदमत अंजाम देने के बाद कुछ घरेलू मजबूरियों की वजह से वह भोपाल चले गये और बाकी जिन्दगी वहीं गुज़ारी। प्रेस रिलीज के अनुसार पसमांदगान में एक लड़का और चार लड़कियां हैं। जनाज़े की नमाज़ और तदफीन ११बजे रात में अमल में आयी।

अखबारी बयान के अनुसार अमीर मोहतरम मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी, महा सचिव मौलाना मुहम्मद हारून सनाबिली, कोषाध्यक्ष अलहाज वकील परवेज और प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस मध्यप्रदेश के अमीर मौलाना अब्दुल कुद्दूस उमरी एवं अन्य जिम्मेदारान और कार्यकर्ताओं ने उनके पसमांदगान एवं परिवार वालों से हार्दिक शोक व्यक्त किया है। और दुआ की है कि अल्लाह उनकी गलतियों को मआफ फरमाये, नेकियों को कुबूल करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में उच्च स्थान प्रदान करे और पसमांदगान को सबरे जमील की क्षमता दे। आमीन ***(जरीदा तर्जुमान, जुलाई १६-३१-२०१८)***

दो कलिमे अल्लाह को बहुत पसन्द हैं

मुहम्मद अज़हर मदनी

हज़रत अबू हुरैरह रजिअल्लाहो तआला अन्हो का बयान है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

दो कलिमे ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं जो जुबान पर हलके और मीज़ान में भारी हैं। वह कलिमात (वाक्य) यह हैं ''सुब्हानल्लाहि व बि-हमदिही सुब्हानल्लाहिल अजीम'' (सहीह बुखारी-७५६३)

यह अल्लाह तआला की रहमत और उसके दयालु होने की दलील है कि उसने ऐसे छोटे छोटे वाक्य और शब्द बनाये जिनके माध्यम से इन्सान अपने आप को हमेशा रब की याद में व्यस्त रखे और दरजात की बुलन्दी और गुनाहों और बुराइयों को खत्म करने का सबब बने। अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मुझे ''सुब्हानल्लाही वल हम्दुलिल्लाही व लाइलाहा इल्लल्लाहो वल्लाहो अकबर'' कहना उन चीज़ों से प्रिय है जिस पर सूरज उदय होता है एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अफजल कलाम अल्लाह के नजदीक क्या है? आपने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सबसे प्रिय एवं महबूब कलाम ''सुब्हानल्लाहि व बिहमदिही'' है जिसे अल्लाह तआला ने अपने फरिश्तों या बन्दों के लिये पसन्द फरमाया है। (सहीह मुस्लिम)

यह सब इस उम्मत पर अल्लाह तआला का बड़ा एहसान है कि उसने एक इन्सान की मुक्ति, सफलता और कामयाबी के लिये किसी कठिन चीज़ को कसौटी नहीं बनाया बल्कि उसकी अपने बन्दों से अत्यंत मुहब्बत की दलील है कि उसने ऐसे ऐसे और आसान कलिमात उसकी मुक्ति के लिये पसन्द किया है।

सहीह मुस्लिम की एक रिवायत में है हज़रत अबू हुरैरह बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (मैसेन्जर) सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिस शख्स ने सुबह और शाम को सौ बार ''सुब्हानल्लाहि व बिहमदिही'' कहा तो क्यामत के दिन कोई भी शख्स उससे ज्यादा फजीलत वाला कर्म लेकर नहीं आयेगा सिवाए उस शख्स के जिसने इस जैसा (कलिमा) पढ़ा होगा हज़तर अबू हुरैरह बयान करते हैं या इससे ज़्यादा पढ़ा हो।

एक हदीस में यह भी आया है कि अगर कोई शख्स एक दिन में सौ बार ''सुब्हानल्लाहि व बिहमदिही'' कहता है तो उसके गुनाह मआफ कर दिये जाते हैं अगर्चे उसके गुनाह की मात्रा समुद्र की झाग के बराबर ही क्यों न हो।

अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम लोगों को इन कलिमात (वाक्त-सूत्र) को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की क्षमता दे और क्यामत के दिन हमारी मुक्ति का माध्यम बनाये। आमीन।